

15/05/18

राज्य द्वारा ADPO रूप में
मूल अभिलेख अभिलेखागार से
प्राप्त हुआ।


प्रकरण में आरोपी सुरज पुत्र
पंखीलाल जाधव को जारी स्थायी गिर
वाफू इस रीप के साथ वापस प्राप्त

है कि ठीक आरोपी की मृत्यु के
चुकी है। साथ ही आरोपी सुरज का
मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है जिसके
अनुसार उनकी मृत्यु दि. 21/05/17
को हो चुकी है।

ऐसी दशा में मृत अभियुक्त के
विशेष सभी आपराधिक कार्यवाही समाप्त
की जाती है।

तदनुसार इस प्रकरण का परिणाम
पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भेजा
जावे। अभिलेख के मुख्य पृष्ठ पर
अंकित रीप कि "आरोपी पुरार है"
विलुप्त की जाए।

(P.T.O.)


15/05/18
शिवानी शर्मा
न्यायिक मा. प्रथम श्रेणी
मोहद, जिला-भिण्ड